मौका रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ओ.ए. संख्या 143/2023 सरवर खां बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के आदेश दिनांक 16.10.2023 की अनुपालना में गठित कमेटी द्वारा डम्पिग साईट, नगर परिषद् डीडवाना का निरीक्षण दिनांक 12.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री श्योराम वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन, श्री ज्ञानचन्द, जिला वन अधिकारी, डीडवाना–कुचामन, श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, नागौर एवं श्री रोहित कुमार मील, आयुक्त नगर परिषद् डीडवाना मौजूद रहें। वर्तमान स्थिति की बिन्दुवार मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

01 :– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर के आदेश क्रमांक 3117 दिनांक 17.09.2019 के द्वारा राजस्व ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 1920 रकबा 28.09 बीघा किस्म गै.मु. ठोस कचरा निष्पादन हेतु नगर पालिका डीडवाना को आंवटित की गई हैं। नगर परिषद् द्वारा उक्त आंवटित भूमि पर चारदिवारी व वायर फेसिंग कर ठोस कचरा प्रबन्धन का कार्य संचालित किया जा रहा है।

02 :– निरीक्षण के दौरान देखा गया कि डम्पिंग यार्ड पर एक टीन–शेड बना हुआ है तथा एक कम्पोसटिंग मशीन स्थापित है। कम्पोसटिंग मशीन संचालित नहीं पाई गई।

03 :– डम्पिंग यार्ड में एस.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 के तहत एम.आर.एफ. सेन्टर हेतु किसी प्रकार मशीन स्थापित नहीं की गई है, केवल कम्पोसटिंग मशीन स्थापित की गई है। आयुक्त नगर परिषद् डीडवाना द्वारा बताया गया कि फटका मशीन, बेलिंग एवं श्रेडिंग मशीन क्रय कर लिया गया है तथा जल्द ही साईट पर स्थापित कर दी जायेगी।

04 :– डम्पिग यार्ड के सामने औद्योगिक क्षेत्र स्थित है तथा डम्पिग यार्ड के बाहर की तरफ प्लास्टिक की थैलिया इधर–उधर फैली हुई पाई गयीं।

05 :– डम्पिंग यार्ड पर किसी प्रकार की पृथ्थकरण की व्यवस्था नहीं पाई गयी, परन्तु आयुक्त नगर परिषद् डीडवाना द्वारा बताया गया कि कचरा बीनने के लिये 10–15 लोग प्रतिदिन मैन्यूअली कचरे (पॉलिथिन, प्लास्टिक, मैटल, कार्ड–बोर्ड आदि) का पृथक कर स्वयं ले जाते है।

06 :– डम्पिंग यार्ड पर जिस प्रकार से कचरा निस्तारित किया गया है उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कचरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा डाला जाता है तथा डीडवाना औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतया विकसित नहीं है। यहां पर प्लास्टिक पाईप, आटा चक्की, खल बनाने आदि की छोटी इकाईयां संचालित है।

07 :– डम्पिंग यार्ड के आस–पास कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है। वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सूपका की गौचर भूमि पर 12 हैक्टेयर में 6000 पौधो का वृक्षारोपण किया गया था। जिसका वन विभाग द्वारा दिनांक 18.12.2015 को ग्राम पंचायत सूपका को हस्तान्तरित कर दिया गया था।

(रोहित कुमार मील)
आयुक्त
नगर परिषद् डीडवाना

Savita 12/12/23
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, नागौर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
जिला वन अधिकारी
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना–कुचामन

(श्योराम वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, डीडवाना

क्रमांक एफ( )क्षेवअडी/2023–24/457 दिनांक :–24.11.2023

निगित्त :– उप वन संरक्षक महोदय,
नागौर।

विषय :– राष्ट्रीय हरित अधिकरण पीठ, भोपाल द्वारा मूल आवेदन संख्या 143/2023 (CZ) व 144/2023(CZ) श्री सरवर खान बनाम राजस्थान सरकार में प्रभारी अधिकारी एवं सरकारी अधिवक्ता नियुक्त करवाने के संबंध में।

प्रसंग :– कार्यालय उवसं. नागौर के पंत्राक 7144 दिनांक 20.11.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण पीठ, भोपाल द्वारा मूल आवेदन संख्या 143/2023 (CZ) व 144/2023(CZ) श्री सरवर खान द्वारा अपील दायर कर नोटिस भिजवाया है उक्त प्रकरण के संबंध में श्रीमान्जी के द्वारा वस्तुस्थिति एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है जो संलग्न श्रीमान्जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– तथ्यात्मक रिपोर्ट

भवदीय

(सर्वजीत सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
डीडवाना

घर घर औषधि योजना

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी,डीडवाना

तथ्यात्मक रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण पीठ, भोपाल द्वारा मूल आवेदन संख्या 143 व 144/2023 (CZ) श्री सरवर खान द्वारा अपील दायर कर नोटिस भिजवाया है आवेदन के संबंध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है।

1. यह है कि आवेदन संख्या 143/2023 मे जिला मुख्यालय डीडवाना की गोचर भूमि संख्या 1920 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा पौधारोपण किया गया था के बारे मे बताया गया है। इस संबंध मे श्रीमान जी से निवेदन है कि पौधारोपण किया गया स्थल वन भूमि नही है यह ग्राम पंचायत सूपका की गौचर भूमि है जिस पर वनीकरण मेदासर सूपका 12 हैक्टेयर के नाम से वर्ष 2010–11 में मरू प्रसार रोक परियोजना के अंतर्गत 6000 पौधो का वृक्षारोपण किया गया। उक्त वृक्षारोपण स्थल टोर्टलिस (Acacia tortilis) पौधों का वृक्षारोपण किया गया।
2. यह है कि अपील अनुसार उक्त भूमि मे नगर परिषद डीडवाना द्वारा शहर का गंदा कचरा, कूडा–करकट, प्लास्टिक की थैलियां व मृत पशु डाल कर पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है और पेड़ पौधो को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त के संबंध मे श्रीमानजी से निवेदन है कि वृक्षारोपण के पांच वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिनांक 18.12.2015 को ग्राम पंचायत सूपका को हस्तांतरण कर दिया गया है। पांच वर्ष पूर्ण हो जाने उपरान्त उक्त वृक्षारोपण का सुरक्षा व संधारण का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जाता है हस्तांतरण उपरान्त वृक्षारोपण पर वन विभाग का कोई हस्तक्षेप नही रहता है। यदि ग्राम पंचायत की गौचर भूमि पर कोई भी पेड पौधो को नष्ट करने का प्रयास करता है तो इस संबंध मे श्रीमान विकास अधिकारी महोदय व यदि नगर परिषद् क्षेत्र में कोई भी पेड पौधो को नष्ट करने का प्रयास करता है तो इस संबंध मे श्रीमान अधिशाषी अधिकारी महोदय नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। ग्राम पंचायत की गौचर भूमि पर यदि कोई पेड पौधो को नष्ट करता है तो इस संबंध मे वन विभाग कोई भी कार्यवाही करने मे सक्षम नही है। कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उक्त साईट के पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 18.12.2015 को वृक्षारोपण ग्राम पंचायत सूपका को हस्तांतरण कर दिया गया है। वृक्षारोपण हस्तांतरण प्रपत्र की प्रति संलग्न है व कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 185 दिनांक 27.5.2015 व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 222 दिनांक 18.6.2015 कार्यालय कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी डीडवाना को भिजवा दिया गया है।
3. यह है कि अपील अनुसार उक्त भूमि मे नगर परिषद् डीडवाना द्वारा यहाँ पर ठोस व गीला कचरा डालने से कई पेड़ नष्ट होने के कगार पर है व वातावरण पूरी तरह दूषित होता जा रहा है उक्त के संबंध मे रिपोर्ट बिन्दु संख्या 2 के अनुसार ही है।
4. यह है कि अपील अनुसार नगर परिषद् डीडवाना द्वारा इस गौचर भूमि में 15–20 फिट के गहरे गड्डें खोद कर वहाँ से मिट्टी उठवाई जा रही है जिसमें वन विभाग के प्रयास विफल हो रहे है इस संबंध मे श्रीमान जी से निवेदन है कि कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नगर परिषद डीडवाना के द्वारा वृक्षारोपण किये जाने के पांच वर्ष तक किसी प्रकार के गड्डें नही खोदे गये। गहरे खड्डे खोदने का कार्य नगर परिषद् डीडवाना द्वारा वृक्षारोपण के पांच वर्ष उपरान्त किया गया है। वृक्षारोपण के पांच वर्ष पूर्ण हो जाने पर उक्त वृक्षारोपण का सुरक्षा व संधारण का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जाता है इस संबंध मे वृक्षारोपण पर वन विभाग का कोई हस्तक्षेप नही रहता है।
5. यह है कि उक्त गौचर भूमि के ठीक सामने इण्डस्ट्रीयल एरिया स्थित है जहां पर खाद्य सामग्री निर्माण का कार्य एवं खाद्य आटा निर्माण की कई फैक्ट्रियां संचालित होती है। उक्त क्षेत्र मे प्लास्टिक थैलियां व कचरा भी उड़कर आता है। जिसके कारण आमजन के जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि बिन्दु संख्या 05 वन विभाग से संबंधित नही है। उक्त के संबंध मे संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करवाया जाना उचित होगा।

6. यह है कि नगर परिषद डीडवाना द्वारा इस क्षेत्र मे डाले गये मृत पशुओं के अवशेषों को कुत्ते इण्डस्ट्रीयल एरिया तक लेकर आ जाते है जिस कारण से औद्योगिक फैक्ट्रियों का वातावरण भी दूषित होता है। श्रीमान जी से निवेदन है कि बिन्दु संख्या 06 वन विभाग से संबंधित नही है। उक्त के संबंध मे संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करवाया जाना उचित होगा।
7. यह है कि डीडवाना रीको उद्यमी विकास समिति डीडवाना जिला–डीडवाना–कुचामन ने इस संबंध मे अप्रार्थीगण को कई वार प्रार्थना–पत्र देकर इस पूरे मामले से अवगत करवाया लेकिन कोई सकारात्मक कार्यवाही नही हुई। इस संबंध मे श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त क्षेत्र वन विभाग के क्षैत्राधिकार में नही आने के कारण वन विभाग के द्वारा कार्यवाही किया जाना संभव नही है।
8. यह है कि क्षेत्र वनपाल पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर ने इस भूमि पर कचरा डालने के संबंध मे जांच करने के बाद रिपोर्ट में बताया है कि – यह भूमि खसरा संख्या 1920 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा राजकीय खतोनी व नजरी नक्शा अनुसासर गैर मुमकिन भूमि है। इस प्रकार की भूमियों पर वन विभाग 5 वर्ष के लिए वृक्षारोपण करता है और 5 वर्ष बाद ग्राम पंचायत या नगरपालिका निगम को वापस हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार के वृक्षारोपण ग्राम वन के दायरे मे आते है। यह वन अधिनियम की धारा 28 के तहत ग्राम वन कहलाते है। ये वन चारागाह भूमि पर ही या सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण करके घोषित किए जाते है। ऐसे वनों का संरक्षण उस क्षेत्र के पशु भेड़–बकरी को चराने के लिए एवं लालन–पालन के लिए किया जाता है। ऐसे वनों में कोई छेड़छाड़ करता है या पेड़ो को हटता है तो धारा 29,30,31,32,33 के तहत कार्यवाही की जाती है। उसमें कोई भी विभाग या व्यक्ति क्यू न हो, उनको नियमों के तहत छः महीने की सजा व पांच सौ रूपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी पेडों को नुकसान या इस तरह के वृक्षारोपण में गड्डे खोदना व टहनियों को काटना, गड्डे खोदकर उसमें कचरा डालना पर्यावरण नियम 1986 के उलंघन के दायरे में है। इस तरह के अपराध में छः महीने की सजा व पांच सौ रूपये जुर्माने रखा गया है। नगरपालिका डीडवाना द्वारा इस वृक्षारोपण को खुर्द–बुर्द किया गया है। इस संबंध मे श्रीमान्जी से निवेदन है कि बिन्दु संख्या 08 मे वर्णित धारा 29,30,31,32,33 नोटिफाइड फोरेस्ट होने पर ही लागू होती है। चुकि उक्त भुमि नोटिफाइड फोरेस्ट नही है न ही उक्त भूमि पर वर्तमान मे वन विभाग काबिज है। जिस कारण से वन विभाग कार्यवाही करने मे सक्षम नही है। यदि ग्राम पंचायत की गौचर भूमि पर कोई भी पेड पौधो को नष्ट करने का प्रयास करता है तो इस संबंध मे श्रीमान विकास अधिकारी महोदय व यदि नगर परिषद् क्षेत्र में कोई भी पेड पौधो को नष्ट करने का प्रयास करता है तो इस संबंध मे श्रीमान अधिशाषी अधिकारी महोदय नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम है।
9. यह है कि क्षेत्र वनपाल पंचायत समिति डीडवाना ने अपनी रिपार्ट मे यह भी बताया है कि नगरपालिका को 12वीं (अनु 243बी) के तहत कुडा करकट के लिए अनुपयोगी (जो जमीन कोई काम नही आती है) जमीन दी जाती है यह व्यवस्था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट कहलाती है। उक्त के संबंध मे श्रीमान्जी से निवेदन है कि बिन्दु संख्या 09 वन विभाग से संबंधित नही है।
10. यह है कि इस वृक्षारोपण को खुर्द–बुर्द करने से और प्लास्टिक खाने से गायें मर गई है। इसके अलावा भेड–बकरी पग्लकों को रोजगार खत्म हो गया है। उक्त के संबंध मे श्रीमान जी से निवेदन है कि बिन्दु संख्या 10 वन विभाग से संबंधित नही है।

आवेदन संख्या 144/2023 मे वन विभाग के संबंध मे कोई भी सूचना नही चाही गई है व न ही शिकायत की गई है। आवेदन संख्या 144/2023 मे नगर परिषद डीडवाना सीवरेज का एनट्रीटेड पानी तालाब,झील,मैला मैदान व खेतों मे छोड़ने के बारे मे बताया गया है उक्त भूमि वन विभाग के अधिकार क्षेत्र मे नही आती है इस कारण से संबंधित विभाग से नियमानुसार कार्यवाही करवाया जाना उचित होगा।

(सर्वजीत सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
डीडवाना

वृक्षारोपण हस्तांतरण प्रपत्र

आज दिनांक .... को वृक्षारोपण [illegible] (सुपका) वर्ष 2010 क्षेत्रफल 12.50 हैक्टर ग्राम सुपका ग्राम पंचायत सुपका रेंज [illegible] पंचायत समिति [illegible] वन मण्डल [illegible] .. को पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार ग्राम पंचायत को सम्भाला जा रहा है। आज दिनांक .... के पश्चात से इस वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की समस्त जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होगी तथा इसका प्रबन्धन वृक्षारोपण प्रबन्ध योजना के अनुसार ही किया जावेगा।

सुरक्षा हेतु स्थाई चौकीदार 1500 रूपये [illegible]

क्र. स.	नाम प्रजाति	जीवित संख्या	औसत उंचाई	औसत गोलाई
1	आ० टोर्टलिस	3845	6½ फुट	4 to 10 cm
2	खैर	455	4 फुट	2 to 6 cm.
3	रोंझ	240	3 फुट	-"-
4	देशी बबूल	285	5 फुट	3 to 7 cm.
5	अन्य/छायादार	22	4 फुट	2 to 6 cm
6.	खेजड़ी	24	3½ फुट	-"-

कुल जीवित - 4871

उपरोक्त अनुसार चार्ज संभाला

उपरोक्त अनुसार चार्ज संभलवाया गया

हस्ताक्षर प्रतिनिधि
(अभिकरण जो वृक्षारोपण का चार्ज संभालती है।)

हस्ताक्षर प्रतिनिधि
वन विभाग
([illegible])
सहायक वनपाल

दिनांक 18-12-15

स्थान सुपका।

[illegible] दिनांक 18/12/15
सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर

क्रमांक : एफ.12(89)राजस्व/2019/3117 दिनांक : 17-09-19

—: आदेश :—

उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के प्रस्ताव/अभिशंषा व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल डीडवाना की मांग पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना एफ.6(9) रेव–96 पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 के अनुसार मौजा डीडवाना के खसरा नम्बर 1920 किस्म गैर मुमकिन गौचर रकबा 28.09 बीघा भूमि ठोस कचरा निष्पादन हेतु नगर पालिका डीडवाना के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों पर हस्तान्तरित की जाती है :—

1. राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना एफ.6(9) रेव–96 पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 के अनुसार लगान की 40 गुना पूंजीगत राशि का निर्धारण तहसीलदार, डीडवाना द्वारा किया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् हस्तान्तरण भूमि का कब्जा प्राप्त करेंगे।
2. अधिसूचना एफ.6(9) रेव–96 पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 के अनुसार विक्रय, आंवटन अथवा नियमितिकरण के फलस्वरूप प्राप्त राशि का 2 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में मद 0029 भू–राजस्व में तत्काल जमा कराना होगा विलम्ब की स्थिति में 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि भू–राजस्व की बकाया की तरह वसूल योग्य होगी।
3. उपरोक्त हस्तान्तरित भूमि अगर अब्दुल रहमान बनाम सरकार में हुए निर्णय के निर्देशों की पालना से प्रभावित हो तो निर्णय के अधीन जारी निर्देशों के अनुरूप ही उपयोग में लिया जा सकेगा।
4. उक्त जमीन के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही करते समय प्रचलित विभागीय आदेशों तथा माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर,
नागौर
दिनांक : 17.09.19

क्रमांक : सम/3118-23

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
2. तहसीलदार, डीडवाना को निर्देश दिये जाते है, कि उपरोक्त आवंटनानुसार लड्डे में तरमीम एवं जमाबन्दी में अमल दरामद सुनिश्चित करे।
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका डीडवाना
4. जिला राजस्व लेखाकार, कलक्ट्रेट, नागौर।
5. तहसील राजस्व लेखाकार, डीडवाना
6. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,
नागौर